

प्रेस-विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-8, लखनऊ के पत्र संख्या-1606/नौ-8-2019/53ज/2018 टीसी दिनांक 02.08.2019 द्वारा "पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु नगर पालिका परिषद, चुनार को चयनित किया गया है। शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017टीसी दिनांक 21.03.2018 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित कार्यों को सम्मिलित करते हुये चयनित नगर पालिका परिषद की कार्ययोजना तैयार करने के लिये आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर का चयन किया जाना है, जिसे कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो तथा चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर का दायित्व होगा कि चयनित निकाय का स्थलीय निरीक्षण कर समन्वित कार्ययोजना/डीपीआर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर तैयार कर निकाय को उपलब्ध करायेगा और निकाय द्वारा उसे वित्त विभाग के शासनादेश के अनुरूप सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी। चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण भी किया जायेगा, जिसके लिये परियोजना मूल्य का अधिकतम 02 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा। जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा। "पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना" के लिये वित्त पोषण शतप्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। नगर पंचायतों के एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान की संरचना इस योजना के माध्यम से करायी जायेगी, जो अर्बन टाउन प्लानर/आर्कीटेक्ट के द्वारा की जायेगी। सम्बन्धित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को 4.00 करोड़ के कार्य को कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र भी आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः इच्छुक आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर दिनांक 10.03.2020 सायं 05:00 बजे तक अपना आवेदन-पत्र जिसका प्रारूप www.etender.up.nic.in पर वांछित शर्तों के साथ उपलब्ध है पर अपलोड कर सकते हैं तथा टेक्निकल बीड खुलने से पहले आवेदको द्वारा मूल्य कापी जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। टेक्निकल बीड दिनांक 12.03.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर की अध्यक्षता में खोला जायेगा।

(यू०पी० सिंह)

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर।

पत्र सं०-५०६/स्था०नि०लि०-बैठक/2020

दिनांक ११, फरवरी, 2020

—000—

प्रतिलिपि-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चुनार को इस निर्देश के साथ कि आवेदन का प्रारूप व वांछित शर्तों का विवरण ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड कराने तथा विज्ञापन पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को अनुपालनार्थ।
4. उप निर्देशक सूचना को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस-विज्ञप्ति को दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र हिन्दुस्तान व अमर उजाला में प्रकाशित कराकर पेपर कटिंग की प्रति सहित भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
मीरजापुर।

आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के चयन हेतु आवेदन का प्रारूप

1. नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्मतिथि :-
4. पता (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल सहित) :-
5. योग्यता (प्रमाणित अभिलेखो सहित) :-
6. अनुभव (प्रमाणित अभिलेखो सहित) :-
7. वर्तमान में किये जा रहे कार्य का स्थल :-
8. नगर पालिका परिषद, चुनार हेतु आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर की पारिश्रमिक दर (परियोजना मूल्य का प्रतिशत) :-

आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के चयन हेतु निर्धारित शर्तें व वांछित संलग्न करने वाले साक्ष्यों का विवरण

1. सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
2. कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग/संस्था से प्राप्त करके संलग्न करें।
3. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के रूप में सम्बन्धित संस्था द्वारा कराये गये रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।
4. फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।
5. फर्म के TAN/PAN की प्रमाणित प्रति।
6. फर्म की GST Number की प्रमाणित प्रति।
7. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के रूप कार्य करने का अनुभव 4.0 करोड़ से अधिक मूल्य के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन शुल्क रू0 1,500.00 + 18% GST अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चुनार के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ हो, मान्य होगा।
9. चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को एग्रीमेन्ट के समय सभी मूल अभिलेख व शपथ-पत्र संलग्न कर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चुनार के समक्ष जमा करना होगा।
10. सम्बन्धित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को कार्यस्थल से सम्बन्धित कार्ययोजना/डी0पी0आर0 तैयार करना एवं कार्य करते समय सुपरविजन इत्यादि कार्य करना होगा।

(यू0पी0 सिंह)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
भीरजापुर।